वर्ष 4, अंक 62

राष्ट्र महिला

दिसम्बर, 2004 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

अध्यक्षा का विदाई पत्र

जनवरी, 2005 में अपना कार्यकाल समाप्त कर विदाई लेते समय, मेरा मन अनेक भावुकताओं से परिपूर्ण है। पहले 1999 में मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त करके, फिर जनवरी, 2002 में अध्यक्षा के पद की नियुक्ति देकर, सरकार में और बाहर अनेक व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा मुझे समर्थन और सहयोग प्रदान कर, मीडिया एवं बौद्धिकों के साथ लगातार विस्तृत संपर्क से मुझे जो सम्मान मिला, मैं उससे अभिभूत हूँ।

सर्वोपरि, जो सदाशयता और स्नेह मुझे उन असंख्य महिलाओं से प्राप्त हुआ जिनसे देश के सभी कोनों में मेरा मिलना हुआ चाहे जन सुनवाहयों में या बैठकों में अथवा वैयाक्तिक रूप में भेंट में, उसकी याद सदा मेरे साथ रहेगी।

इस सब में, मैं अच्छी तरह समझती हूँ, मैंने जो दिया है उससे अधिक मुझे मिला है और अब मैं एक परिवर्तित व्यक्ति होकर जा रही हूँ, कहीं अधिक जानकारी लिए हुऐ, बेहतर समझ के साथ, और मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि सशक्तिकृत महिलाओं का स्वप्न साकार करने की दिशा में आयोग और भी अधिक प्रयास करेगा। मैं जहां भी हूं, इस प्रयास का अंग रहूंगी।

इस अवसर पर मैं राष्ट्र महिला के पाठकों से भी अलविदा कहना चाहूंगी जिसके साथ इस प्रकाशन के माध्यम से एक अपनापन बन गया है और जो मेरे लिए एक प्रेरणा–स्त्रोत रहे हैं।

पदकार्य त्यागते समय, मेरा ध्यान उन सहस्त्रों पुरूषों, स्त्रियों तथा बच्चों की ओर जाता है जो हमारे पूर्वी समुद्री तटों तथा द्वीपों में आई भयंकर विपदा का शिकार हो गये हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र और समाज निर्मित करने का संकल्प लें जो अपने सभी सदस्यों की, विशेषकर जो हाशिये पर हैं जैसे महिलाएं और बच्चे, सुध लेता है।

मेरे सम्पर्क नंबर : फोन – 022–22182508, फैक्स – 022185637, ईमेल : padvani@rediffmail.com

पू. आडवाणी

(पूर्णिमा आडवाणी)

सम्पादकीय

पहली दिसम्बर विश्व एड्स दिवस है। इस वर्ष यह महिलाओं और लड़कियों को समर्पित था। इसके पीछे भावना थी कि लिंग असमानता तथा महामारी के बीच के संबंध को उजागर किया जाये। आज विश्व पर्यंत जितने व्यक्ति एचआईवी/एड्स से प्रभावित हैं उनमें से लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गयी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कई राज्यों में गंभीर महामारी फैलने की आशंका है और भारत की भारी जनसंख्या के कारण यह समस्या और भी जटिल बनती जा रही है।

महिलाओं और लड़कियों को संक्रमण का खतरा होने के कई कारण हैं, जैसे अनभिज्ञता, संक्रमण फैलने के कारणों की अज्ञानता और उससे संरक्षण के तरीके, सामाजिक–सांस्कृतिक भेदभाव, रोज़गार के अवसरों की कमी, आर्थिक निर्भरता, गरीबी, वेश्यावृत्ति, यौन हिंसा और रिश्तेदारियों के मध्य शोषण।

भारत में एचआईवी/एड्स के प्रति महिलाओं की जानकारी बहुत कम है। इस रोग बारे में कुछ क्षेत्रों में तो मात्र 20% महिलाओं को सही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त, इससे प्रभावित महिलाओं की पहुंच इलाज

चर्चा में — एच.आई.वी./एड्स

और देखभाल तक नहीं के बराबर है, परिवार के सदस्य उनका परित्याग कर देते हैं और समाज उनकी ओर से मुंह मोड़ लेता है।

इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का एड्स से संक्रमित होना सामाजिक रूप से बड़ा भयास्पद है, गरीब देशों में तो और भी अधिक जहां परिवारों और समुदायों को जोड़कर रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दुर्भाग्य की बात है कि एचआईवी/एड्स के विरूद्ध एक दशक के बड़े पैमाने के अभियान तथा काफी पैसा खर्च करने के बाद भी देश में इसकी स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर बहुत चिंतित है और उसने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने और उसे अधिक महिला–उन्मुख बनाने का अनुरोध किया है। उसने सुझाव दिया है कि 'रोग–प्रतिरोधक क्षमताह्रास' को पुनः परिभाषित करके उस अनावश्यक भयभीतता का निराकरण किया जाये जो इस रोग से प्रभावित महिलाओं का

जीवन कठिन बना देती है। सभी को यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि एड्स-संबंधित कलंक और सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित को बचाना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से एक चार-सूत्री कार्य-योजना क्रियान्वित करने का आग्रह किया है : जागरूकता और प्रशिक्षण, देखभाल और उपचार, समर्थन और पुनर्वास, क्रियान्वयन और सजा। उसने एड्स संक्रमित लोगों के मुफ्त इलाज तथा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में महिला-अनुकूल प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की सिफारिश की है।

अंत में, एचआईवी/एड्स के भयावह रोग का मुकाबला करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कानूनों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए, उनके रोजगार की एक उदार नीति अपनायी जानी चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक कारणों में बदलाव लाने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण पर भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक

'महिला सशक्तिकरण एवं विधान तथा न्यायिक निर्णय' पर नई दिल्ली में 11 दिसम्बर, 2004 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की एक अखिल भारतीय बैठक आयोजित की गयी। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लाहोटी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया और दोनों सत्रों की अध्यक्षता भी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ मंच पर न्यायमूर्ति बी.पी. सिंह और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण भी मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, के निदेशक प्रोफेसर एन.आर. मेनन, दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून विभाग की डीन व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नोमिता अग्रवाल, और 'नालसार', हैदराबाद, के निदेशक प्रो. रनबीर सिंह भी शामिल थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लाहोटी ने उच्च न्यायालयों में अधिक महिला न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की हिमायत की ताकि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि महिला वकीलों की निरीक्षण करने तथा साक्ष्य लिखने के लिए कोर्ट कमिश्नर का कार्य सौंपा जाना

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लाहौटी और आयोग की अध्यक्षा डॉ. पूर्णिमा आडवाणी

मुख्य न्यायाधीश लाहौरी आयोग की सदस्याओं के साथ वार्तालाप करते हुए (बांये से) सुश्री निर्मला सीतारमन, डॉ. सुधा मलैया, सुश्री बेबी रानी मौर्य और आयोग की अध्यक्षा

चाहिए। कानूनी सहायता कार्य सौंपने के मामले में भी महिला वकीलों को वरीयता दी जानी चाहिए ताकि न्यायालयों में उनकी उपस्थिति अधिकाधिक प्रभावी हो।

उन्होंने न्यायधीशों तथा वकीलों से न्यायालय के अंदर महिलाओं के साथ सम्मान तथा प्रतिष्ठा का बर्ताव करने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति श्री लाहोटी ने कहा कि न्यायालय कक्ष में किसी भी प्रकार के लिंगभेद के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है और यह संरक्षण न्यायालय के सम्मुख उपस्थिति होने वाली किसी भी महिला को दिया जाना चाहिए, चाहे वह स्टाफ की सदस्य हो, कोई पक्ष हो, साक्षी हो अथवा वकील हो। उन्होंने वकीलों से कहा कि महिलाओं के मामलों की कार्यवाही न्यायालय समय पर प्रारंभ करें और व्यवस्थापूर्वक कार्यवाही आगे बढ़ाएं ताकि यह जल्द पूरी हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय में महिला की बार-बार उपस्थिति को रोकने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति श्री लोहाटी ने सुझाव दिया कि महिला साक्षियों से पूछताछ और जिरह स्वंय न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए अथवा न्यायाधीश की सीधी देखरेख के अंतर्गत की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गत् दो वर्षों के दौरान न्यायपालिका द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण निर्णय इस बार का जीता-जागता प्रमाण है कि न्यायाधीशों पर लिंग अन्याय का आरोप नहीं लगाया जा सकता। किन्तु यह संवेदनशीलता व्यक्तिगत थी और उसे संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।

अपने प्रारम्भिक संबोधन में आयोग की अध्यक्षा डॉ. पूर्णिमा आडवाणी ने मीडिया द्वारा मुकदमा चलाने और अपराध का टेलीविजन द्वारा पुन:सर्जन करने पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रतिबंधित करने की हिमायत की क्योंकि इससे जांच-पड़ताल में बहुधा बाधा पड़ती है।

न्यायमूर्ति श्री लाहोटी ने इस अवसर पर डॉ. पद्मा सेठ द्वारा लिखित पुस्तक ''कानून और न्यायिक निर्णयों के सम्मुखीन महिला सशक्तिकरण पर स्पष्नहष्टा वक्तव्य'' का विमोचन किया।

सदस्यों के दौरे

● सदस्या बेबी रानी मौर्य वारानसी भदोई और फर्रूखाबाद गयीं। वारानासी में उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित दलित महिलाओं पर एक कार्यशाला में भाग लिया और डॉ. एस.एस.आर. प्रतिष्ठान द्वारा वारानासी तथा भदोई में दलित महिलाओं पर आयोजित जन सुनवाइयों में भाग लिया।

बाद में, मेंहदीगंज (वारानासी) में कोका कोला कंपनी द्वारा जल दूषित किए जाने के विरूद्ध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए उन्होंने वारानासी के सर्किट हाउस में एक बैठक बुलाई। फर्रूखाबाद में उन्होंने आलू का श्रेणीकरन करने वाली तथा ज़रदोज़ी के कार्य में लगी दलित महिलाओं की एक जन-सुनवाई में भाग लिया।

गुड़गांव में वह ताओरू में महिला विकास पर एक कार्यशाला में भाग लेने गयीं जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर सम्मानित किया गया था। 14 दिसम्बर को सुश्री मौर्य आगरा गयीं जहां आगरा केंट रेलवे प्रशासन द्वारा 'रेल महिला यात्रियों पर हिंसा' विषय पर आयोजित जन सुनवाई में उन्होंने भाग लिया। इस जन सुनवाई का प्रयोजन महिला रेल यात्रियों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करना और रेल प्रशासन द्वारा किए जा सकने वाले उपाय सुझाना था।

नासिक में भारतीय स्त्री शक्ति (नासिक ब्रांच) द्वारा आयोजित दलित महिलाओं पर एक जन सुनवाई में भाग लेने वह वहां गयीं। लुधियाना में एसआईआरडी (नाभा) द्वारा दलित महिलाओं पर आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में उन्होने भाग लिया जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से महिलाएं आयीं थीं।

● सदस्या सुधा माल्या ने पतंग बनाने वाली महिलाओं की एक जन सुनवाई में अध्यक्षा के साथ भाग लिया। उन्होंने तीस्ता सीतलवाड के विरूद्ध जाहिरा शेख को गलत तरीके से निरूद्ध रखने की शिकायत भी सुनी। पेपर रोलिंग कार्य का मशीनीकरण होने से नाडियाड और आनंद की महिला कामगारों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वह वहां की कागज निर्माण फेक्ट्रियों को देखने गयीं। डिस्ट्रिक्ट जेल नाडियाड जाकर उन्होंने वहां की महिला बंदियों से बात की। अधिकतर महिला विचाराधीन बंदी कथित दहेज उत्पीड़न के मामलों में आरोपित थीं। बाद में उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की।

सुश्री बेबी रानी मौर्य ताओरू में एक महिला को बधाई देते हुए

डॉ. सुधा मलैया नाडियाड में महिला बन्दियों के साथ

जूहापुरा में सुश्री माल्या ने महिला आश्रय गृह का निरीक्षण किया और वहां रह रही महिलाओं से बात की। अमूल डेरी द्वारा चलाए जा रहे त्रिभुवनदास प्रतिष्ठान में वह गयीं और राज कमल वनिता उकर्ष मंडली लि. तथा श्रीजू महिला हस्तकला औद्योगिक सहकारी मंडली लि. में जाकर वहां कार्यरत महिलाओं से बातचीत की। बाद में वह विभिन्न उद्योगों तथा उपक्रमों की उद्यमी महिलाओं के एक दल से मिलीं।

● सुश्री नफीसा हुसेन पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, में 'हरियाली' द्वारा आयोजित कशीदाकारी में लगी महिलाओं की जन सुनवाई में भाग लेने गयीं। वह एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ोधरा, का प्रोद्योगिकी और इंजीनियरी विभाग देखने गयीं और बड़ोधरा के गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक भी की। बाद में वह बड़ोधरा के थोक पतंग विक्रेताओं से मिलीं और पतंग बनाने में लगी महिलाओं की समस्या के संबंध में उनसे चर्चा की।

गोधरा में वह वहां के गैर सरकारी संगठनों से मिलीं और देवगढ़ बरिया के सिविल अस्पताल का अचानक दौरा किया। वह सब-जेल भी गयीं और गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक की, फिर वहां का नूतन बालिका हाई स्कूल देखने गयीं। बरेली के जिला अस्पताल में एक महिला के बलात्कार के मामले की जांच उन्होंने श्री जलीला अहमद के साथ की। दिल्ली में

RNI No. 64877/96

आर.के. पुरम में एक ब्लू लाइन बस में एक अंधी लड़की के बलात्कार के मामले की जांच भी उन्होंने की।

गाजियाबाद में वह विजयलक्ष्मी नामक लड़की का अपने पिता द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले की जांच-पड़ताल करने गयीं। सदस्या अनुसूइया उडके के साथ वह जयपुर में विराटनगर के एक गांव गयीं जहां ग्रामीणों द्वारा एक महिला को नग्न कर यातना देने का मामला सामने आया था। सुश्री भारती जोशी की दहेज मृत्यु के मामले की छानबीन करने वह बीकानेर के नोखा गांव में गयीं।

● सदस्या अनुसुइया उइके सदस्या नफीसा हुसेन के साथ 8 दिसम्बर, 2004 को जयपुर के विराटनगर गांव एक मामले की जांच करने गयीं जहां कथित रूप से एक महिला को नग्न करने घुमाया गया था।

● उन्होंने राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों के साथ भी एक बैठक की। वहां राज्य के महिला तथा बाल विकास विभाग के अधिकारियों से भी मिलीं और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 8 दिसम्बर, 2004 को उन्हें भेजे गये लम्बित मामलों का मुद्दा उठाया।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गयी जांच

टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 26.10. 2004, में छपे इस समाचार का संज्ञान लेते हुए कि ब्लूलाइन बस के एक ड्राइवर ने आर.के. पुरम, दिल्ली में एक अंधी लड़की का बलात्कार किया, इस घटना की जांच करने के लिए आयोग ने दो सदस्यों का एक दल गठित किया जिसमें सदस्या नफीसा हुसेन और डॉ. सुधा माल्या थीं। यह दल आर.के. पुरम और वसंत विहार पुलिस स्टेशन गया तथा उस लड़की एवं उसके पिता से मिला और आरोपी एवं पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की।

दल ने विवेक विहार, आर.के. पुरम तथा वसंत विहार क्षेत्रों की पुलिस की सराहना की जिसके प्रयास से अपराधी बहुत जल्द पकड़ा गया, किन्तु वसंत कुंज पुलिस की आलोचना की। दल ने सुझाव दिया कि मीडिया वाले पीड़ित का चित्र तथा वीडियो न दिखाएं तथा सरकार द्वारा पीड़ित को मुआवजा दिया जाये।

जन सुनवाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तमिलनाडु के तिरूवल्लूर में रेड हिल्स की चावल मिलों में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों की दशा के बारे में एक जन सुनवाई का आयोजन किया।

चावल की मिलों में बंधक मजदूरों के रूप में काम कर रहे लगभग 500 पुरूष, महिलाएं और बच्चे इस सुनवाई में जमा हुए।

निष्पत्तियां

● रेड हिल्स की चावल फेक्ट्रियों में लगभग 10000 बंधुआ मजदूर काम करते हैं। यहां की सैकड़ों धान साफ करने वाली फैक्ट्रियों में हजारों इरूला जनजाति परिवार बंधक के रूप में रह रहे हैं।

● अनेक चावल मिलों में पीने के जल, रोशनी, शौचालय, स्नानगृह जैसी भूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

● ऋण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चलता रहता है। इस प्रकार बच्चों के माता-पिता द्वारा लिए गये ऋण के बदले बच्चों से काम कराया जाता है।

● गीले धान की सफाई, उबालाई, सुखाई पैकिंग और ढुलाई का काम बड़े करते हैं।

● मजदूरी हर चार दिन बाद, 8 रु. प्रति बोरे के हिसाब से दी जाती है जो कि राज्य के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन है जो 8 घंटे कार्य के लिए 84 रु. है।

● महिला मजदूरों को, बच्चा होने के चार दिन बाद ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

● सुनवाई के दौरान शिकायतें आयीं कि मजदूरों को मारा-पीटा जाता है, जबरन बंद करके रखा जाता है, महिला मजदूरों का यौन उत्पीड़न किया जाता है और बाल-श्रमिकों को शोषण किया जाता है।

सिफारिशें

● बंधुआ मजदूरों को, जिन्होंने पहले ही आर.डी.ओ. को शिकायत भेजी हुई है, तुरंत रिहा किया जाये और दो सप्ताह के अंदर उनका पुनर्वास किया जाये।

● नियोजकों पर बंधुआ मजदूर अधि नियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम तथा फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये तथा मजदूरों को उनका बकाया दिलाया जाये।

अक्टूबर, 2004 के माह में शिकायत कक्ष में विभिन्न शीर्षों जैसे दहेज, दहेन-मृत्यु, कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न आदि के 522 मामले प्राप्त हुए।

● चावल मिलों के मालिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी दें और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड भरें।

● उन जिला अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कदम उठाए जायें जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं।

● बंधुआ मजदूर परिवारों को आवास, दुधारू पशु तथा कृषि भूमि देकर उनका पुनर्वास दो मास के अंदर किया जाये।

● रेड हिल्स के कामगारों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाये।

● फैक्ट्री अधिनियम के प्रावधानों (अर्थात 8 घंटे की पारी, सुरक्षा, बाल श्रम की मनाही), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाये।

● ऐसे नियोजकों और उनके चमचों पर मुकदमा दायर किया जाये जिन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है, बच्चों तथा वयस्क मजदूरों को पीटा है। वल्ली की अप्राकृतिक मृत्यु के जिम्मेवार मिल मालिकों पर बंधुआ मजदूरी अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दायर किया जाये।

● बालू और मारी नाम के कामगारों से संबंधित शिकायत दर्ज की जाये और उसकी जांच की जाये।

● बंधुआ मजदूर अधिनियम के अनुसार उपरोक्त के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए निगरानी समितियां बनाई जायें।

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन